

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8
सं० 1100 / 2012 / 181(120) / XXVII(8) / 08
देहरादून:: दिनांक:: 17 दिसम्बर, 2012
अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, राज्यपाल, "उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं० 27 वर्ष 2005)" की धारा 71 एवं "उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर(संशोधन) नियम, 2012" की क्रम संख्या 1(2) पर उल्लिखित व्यवस्था के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं० 829/2012/ 181(120)/XXVII(8)/08 दिनांक 13 सितम्बर, 2012 द्वारा प्रकाशित "उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर(संशोधन) नियम, 2012" के निम्नलिखित नियमों को दिनांक 01 मार्च, 2013 से प्रवृत्त किये जाने के सहर्ष आदेश देते हैं:-

1. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित नियम 5 में संशोधन।
2. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 4 पर उल्लिखित नियम 26 में संशोधन(नियम 26(क) एवं 26(ख) को छोड़कर)।
3. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 5 पर उल्लिखित नियम 27 का हटाया जाना।
4. उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 6 पर उल्लिखित नियम 28 का संशोधन।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

सं० 1100 / 2012 / 181(120) / XXVII(8) / 08 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, ट्रांसपोर्टर्स, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन०आई०सी०
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,
(प्रदीप सिंह रावत)
सपुस्त सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. / 2012/ 181(120)/ XXVII(8)/ 08 dated December, 2012 for general information.

Government of Uttarakhand

Finance Section-8

No. /2012/ 181(120)/ XXVII(8)/ 08

Dehradun :: Dated: : December, 2012

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 71 of "the Uttarakhand Value Added tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), and under the provision mentioned at serial no. 1(2) of the "Uttarakhand Value Added tax(Amendment) Rules, 2012", the Governor is pleased to allow implement of the following rules of the "Uttarakhand Value Added tax(Amendment) Rules, 2012" notified by Notification No. 829/2012/181(120)/XXVII(8)/08 dated 13 September, 2012 with effect from 1st March, 2013 :-

1. Amendment of rule 5 mentioned at serial no. 2 of the above notification.
2. Amendment of rule 26(except rule 26(A) and 26(B)) mentioned at serial no. 4 of the above notification.
3. Deletion of rule 27 mentioned at serial no. 5 of the above notification.
4. Amendment of rule 28 mentioned at serial no. 6 of the above notification.

(Radha Raturi)

Secretary.